भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 998

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

लोक अदालतों के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सेवाएं

998. श्री गिरिश भालचन्द्र बापट :

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे :

श्री चंद्र शेखर साहू :

श्री राहुल रमेश शेवाले :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान लोक अदालतों के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने वाले लोगों का महाराष्ट्र सहित राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान 'न्याय बंधु' (अवैतनिक कानूनी सेवाएं) कार्यक्रम के तहत पंजीकृत अवैतनिक अधिवक्ताओं का महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निःशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में टेली-लॉ कार्यक्रम से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लोगों को लाभ मिला है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : राज्य /संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार सहित महाराष्ट्र राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान लोक अदालतों सहित राष्ट्रीय लोक अदालतों, राज्य लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों (लोक उपयोगिता सेवाओं) द्वारा निपटाए गए मामलों का विवरण क्रमशः **उपाबंध-क, उपाबंध -ख** और **उपाबंध-ग** पर दिया गयाहै ।

(ख) : न्यायबंधु (प्रो-बोनो राज्य विधिक सेवा) कार्यक्रम सहित महाराष्ट्र राज्य (राज्य विधिज्ञ परिषद्वार) के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रो-बोनो अधिवक्ताओं का विवरण **उपाबंध-घ** पर दिया गया है ।

(ग) : पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन तैयार किए गए, विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) को आबंटित की गई और स्वीकृत की गई निधियां निम्नानुसार है :-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	सरकार द्वारा आबंटित सहायता अनुदान	सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान
2020-21	100	100
2021-22	145	145

पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधिक सेवा प्राधिकरण को निधि के आबंटन का विवरण उपाबंध-ङ पर दिया गया है ।

(घ) : पिछले दो वर्षों के दौरान टेली-लॉ कार्यक्रम द्वारा सेवित फायदाग्राहियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार विवरण उपाबंध-च पर दिया गया है ।

****

<u>**उपाबंध - क**</u>

श्री गिरिश भालचन्द्र बापट, डा. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे, श्री चंद्र शेखर साहू, श्री राहुल रमेश शेवाले, संसद सदस्यों द्वारा - लोक अदालतों के माध्यम से निःशुलक कानूनी सेवाएं के संबंध में उठायें गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं.998 जिसका उत्तर 22.07.22 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण			
पिछले दो वर्षों अर्थात्, 2022 और 2021 के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाये गए मामलों की सूचना अंतर्विष्ट करने वाला विवरण ।			
क्र.सं	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम**	**2020** **निपटाये गए मामलें**	**2021** **निपटाये गए मामलें**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	248	3,997
2	आंध्र प्रदेश	37,896	1,22,839
3	अरुणाचल प्रदेश	104	1,054
4	असम	12,188	39,642
5	बिहार	66,451	1,51,620
6	चंदीगढ	2,569	16,833
7	छतीसगढ़	24,464	1,34,548
8	दादरा और नागर हवेली	1,768	172
9	दमन और दीव	31	113
10	दिल्ली	83,006	1,54,992
11	गोवा	351	1,680
12	गुजरात	41,584	7,48,722
13	हरियाणा	30,298	1,23,413
14	हिमाचल प्रदेश	5,971	35,556
15	जम्मू - कश्मीर	13,258	1,66,544
16	झारखंड	53,152	2,32,473
17	कर्नाटक	3,34,681	12,77,856
18	केरल	15,010	68,681
19	लक्षद्वीप	8	7
20	मध्य प्रदेश	1,08,365	3,47,333
21	महाराष्ट्र	**2,15,837**	**24,40,375**
22	मणिपुर	204	794
23	मेघालय	303	852
24	मिजोरम	218	790
25	नागालैंड	251	941
26	ओडिशा	18,329	35,557
27	पुडुचेरी	1,738	5,084
28	पंजाब	32,528	1,38,175
29	राजस्थान	1,03,060	2,86,834
30	सिक्किम	30	110
31	तमिलनाडु	88,819	1,91,604
32	तेलंगाना	47,560	3,49,902
33	त्रिपुरा	382	1,070
34	उत्तर प्रदेश	8,088	20,882
35	उत्तराखंड	11,71,022	55,51,793
36	पश्चिमी बंगाल	28,596	1,33,736
37	लद्दाख	0	1,463
	कुल योग	**25,48,368**	**1,27,88,037**

टिप्पण: संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख विधिक सेवा प्राधिकरण, फरवरी 2021 के मास में गठित किया गया था ।

उपाबंध - ख

श्री गिरिश भालचन्द्र बापट, डा. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे, श्री चंद्र शेखर साहू, श्री राहुल रमेश शेवाले, संसद सदस्यों द्वारा -लोक अदालतों के माध्यम से नि:शुलक कानूनी सेवाएं के संबंध में उठाये गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं.998 जिसका उत्तर 22.07.22 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले दो वर्षों अर्थात् 2020-21 और 2021-22 के दौरान राज्य लोक अदालतों में निपटाये गए मामलें की सूचना अंतर्विष्ट करने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	निपटाये गए मामलें (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित मामलें दोनों)	
		2020-21	**2021-22**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	90	0
2	आंध्र प्रदेश	30,461	12,123
3	अरुणाचल प्रदेश	25	91
4	असम	1	13,672
5	बिहार	97	6
6	छत्तीसगढ़	3,475	228
7	दादरा और नागर हवेली	0	0
8	दमन और दीव	0	0
9	दिल्ली	1,95,359	1,47,103
10	गोवा	777	3,209
11	गुजरात	21,880	15,546
12	हरियाणा	52,789	1,15,797
13	हिमाचल प्रदेश	3,205	22,031
14	जम्मू -कश्मीर	9,469	3,271
15	झारखंड	79,649	22,954
16	कर्नाटक	1,21,884	2,524
17	केरल	4,837	19,226
18	लक्षद्वीप	0	0
19	मध्य प्रदेश	14,903	4,110
20	महाराष्ट्र	**605**	**28**
21	मणिपुर	21	0
22	मेघालय	0	89
23	मिजोरम	147	204
24	नागालैंड	0	0
25	ओडिशा	4,628	326
26	पुडुचेरी	392	262
27	पंजाब	0	1,108
28	राजस्थान	34,514	845
29	सिक्किम	158	636
30	तमिलनाडु	13,117	13,066
31	तेलंगाना	24,327	7,363
32	त्रिपुरा	6,938	11,624
33	चंडीगढ़	1	37
34	उत्तर प्रदेश	1,00,305	31,414
35	उत्तराखंड	6,166	8,605
36	पश्चिमी बंगाल	13,853	74,999
37	लद्दाख	0	32
	कुल योग	**7,44,073**	**5,32,529**

टिप्पण: संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख विधिक सेवा प्राधिकरण, फरवरी 2021 के मास में गठित किया गया था ।

उपाबंध-ग

श्री गिरिश भालचन्द्र बापट, डा. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे, श्री चंद्र शेखर साहू, श्री राहुल रमेश शेवाले, संसद सदस्यों द्वारा -लोक अदालतों के माध्यम से नि:शुलक कानूनी सेवाएं के संबंध में उठाये गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं.998 जिसका उत्तर 22.07.22 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण			
पिछले दो वर्षों अर्थात् 2020-21 और 2021-22 के दौरान स्थायी लोक अदालतों (पी यू एस) में निपटाये गए मामलें की सूचना अंतर्विष्ट करने वाला विवरण			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम**	**वर्ष के दौरान निपटाये गए मामलें**	
		2020-21	**2021-22**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1,283	1,406
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4	असम	12	56
5	बिहार	203	221
6	छतीसगढ़	32	1,199
7	दादरा और नागर हवेली	0	0
8	दमन और दीव	0	0
9	दिल्ली	14,765	17,395
10	गोवा	30	0
11	गुजरात	105	2,238
12	हरियाणा	9,654	30,960
13	हिमाचल प्रदेश	10	11
14	जम्मू - कश्मीर	0	0
15	झारखंड	1,943	32,514
16	कर्नाटक	3,869	5,371
17	केरल	248	1,104
18	लक्षद्वीप	0	0
19	मध्य प्रदेश	270	574
20	महाराष्ट्र	**249**	**765**
21	मणिपुर	0	0
22	मेघालय	0	0
23	मिजोरम	0	0
24	नागालैंड	0	0
25	ओडिशा	1,350	1,561
26	पुडुचेरी	0	0
27	पंजाब	3,987	9,967
28	राजस्थान	806	3,228
29	सिक्किम	0	0
30	तमिलनाडु	80	272
31	तेलंगाना	549	6,674
32	त्रिपुरा	0	81
33	चंडीगढ़	108	687
34	उत्तर प्रदेश	383	1,087
35	उत्तराखंड	522	765
36	पश्चिमी बंगाल	0	0
37	लद्दाख	0	0
	कुल योग	**40,458**	**1,18,136**

टिप्पण: संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख विधिक सेवा प्राधिकरण, फरवरी 2021 के मास में गठित किया गया था ।

उपाबंध-घ

श्री गिरिश भालचन्द्र बापट, डा. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे, श्री चंद्र शेखर साहू, श्री राहुल रमेश शेवाले, संसद सदस्यों द्वारा - लोक अदालतों के माध्यम से नि:शुलक कानूनी सेवाएं के संबंध में उठाये गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं.998 जिसका उत्तर 22.07.22 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण		
30 जून, 2022 तक नियुक्त किए गए, राज्य विधिज्ञ परिषदवार, प्रोबोनो अधिवक्ताओं की अंतर्विष्ट संख्या का विवरण ।		
क्र.सं.	**राज्य विधिज्ञ परिषद**	**अधिवक्ताओं की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	398
2	असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	62
3	बिहार	189
4	छत्तीसगढ़	137
5	दिल्ली	612
6	गुजरात	168
7	हिमाचल प्रदेश	58
8	जम्मू - कश्मीर	70
9	झारखंड	110
10	कर्नाटक	113
11	केरल	109
12	मध्य प्रदेश	401
13	महाराष्ट्र और गोवा	**334**
14	मणिपुर	19
15	मेघालय	3
16	ओडिशा	214
17	पंजाब और हरियाणा	333
18	राजस्थान	135
19	तमिलनाडु	238
20	तेलंगाना	68
21	त्रिपुरा	4
22	उत्तर प्रदेश	427
23	उत्तराखंड	56
24	पश्चिमी बंगाल	96
	कुल योग	**4354**

<u>**उपाबंध- ङ**</u>

श्री गिरिश भालचन्द्र बापट, डा. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे, श्री चंद्र शेखर साहू, श्री राहुल रमेश शेवाले, संसद सदस्यों द्वारा - लोक अदालतों के माध्यम से नि:शुलक कानूनी सेवाएं के संबंध में उठाये गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं.998 जिसका उत्तर 22.07.22 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले दो वर्षों अर्थात् 2020-21 और 2021-22 के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों को आबंटित की गई निधियों (रुपये में) की रकम को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	एस एल एस ए का नाम	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	3,40,00,000	5,00,00,000
2	अरुणाचल प्रदेश	1,00,00,000	1,40,00,000
3	असम	3,70,00,000	6,40,00,000
4	बिहार	3,70,00,000	7,60,00,000
5	छत्तीसगढ़	3,95,00,000	5,25,00,000
6	गोवा	50,00,000	15,00,000
7	गुजरात	3,45,00,000	5,75,00,000
8	हरियाणा	4,50,00,000	6,50,00,000
9	हिमाचल प्रदेश	1,85,00,000	2,45,00,000
10	जम्मू -कश्मीर	3,50,00,000	4,65,00,000
11	झारखंड	4,00,00,000	7,35,00,000
12	कर्नाटक	6,25,00,000	7,50,00,000
13	केरल	5,25,00,000	9,90,00,000
14	मध्य प्रदेश	3,00,00,000	5,00,00,000
15	महाराष्ट्र	6,25,00,000	8,25,00,000
16	मणिपुर	1,00,00,000	1,05,00,000
17	मेघालय	50,00,000	50,00,000
18	मिजोरम	50,00,000	1,15,00,000
19	नागालैंड	50,00,000	1,15,00,000
20	ओडिशा	3,25,00,000	4,25,00,000
21	पंजाब	3,25,00,000	6,40,00,000
22	राजस्थान	4,55,00,000	7,00,00,000
23	सिक्किम	50,00,000	65,00,000
24	तमिलनाडु	4,20,00,000	6,00,00,000
25	तेलंगाना	3,50,00,000	4,10,00,000
26	त्रिपुरा	2,80,00,000	2,65,00,000
27	उत्तर प्रदेश	6,50,00,000	6,00,00,000
28	उत्तराखंड	2,50,00,000	2,55,00,000
29	पश्चिमी बंगाल	5,20,00,000	7,00,00,000
30	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
31	चंडीगढ़	80,00,000	55,00,000
32	दादरा और नागर हवेली	2,50,000	0
33	दमन और दीव	2,50,000	0
34	दिल्ली	5,00,00,000	9,30,00,000
35	लक्षद्वीप	0	0
36	पुडुचेरी	10,00,000	20,00,000
37	लद्दाख	0	65,00,000
38	सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा आयोग	1,00,00,000	1,00,00,000
	कुल योग	**1,00,00,00,000**	**1,45,30,00,000**

****

उपाबंध - च

श्री गिरिश भालचन्द्र बापट, डा. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे, श्री चंद्र शेखर साहू, श्री राहुल रमेश शेवाले, संसद सदस्यों द्वारा -लोक अदालतों के माध्यम से नि:शुलक कानूनी सेवाएं के संबंध में उठाये गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं.998 जिसका उत्तर 22.07.22 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण			
पिछले दो वर्षों के दौरान टेली-लॉ कार्यक्रम द्वारा सेवित फायदाग्रहियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण			
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**2020 - 2021**	**2021 - 2022**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	-	48
2	आंध्र प्रदेश	4,447	24,353
3	अरुणाचल प्रदेश	153	582
4	असम	25,114	37,613
5	बिहार	19,942	65,515
6	चंडीगढ	-	1,228
7	छत्तीसगढ़	45,115	72,215
8	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	-	53
9	दिल्ली	-	349
10	गोवा	-	488
11	गुजरात	11,778	35,193
12	हरियाणा	8,329	21,584
13	हिमाचल प्रदेश	3,427	15,255
14	जम्मू और कश्मीर	22,641	35,145
15	झारखंड	61,835	73,542
16	कर्नाटक	4,265	11,912
17	केरल	1,613	3,462
18	लद्दाख	218	420
19	लक्षद्वीप	-	0
20	मध्य प्रदेश	33,596	98,589
21	महाराष्ट्र	54,246	99,712
22	मणिपुर	645	264
23	मेघालय	3,660	5,035
24	मिजोरम	739	1,015
25	नागालैंड	8,942	6,466
26	ओडिशा	34,468	40,641
27	पुडुचेरी	-	454
28	पंजाब	13,847	23,009
29	राजस्थान	7,210	28,090
30	सिक्किम	356	1,024
31	तमिलनाडु	10,852	25,985
32	तेलंगाना	1,302	15,508
33	त्रिपुरा	7,523	13,806
34	उत्तर प्रदेश	1,14,491	1,41,545
35	उत्तराखंड	10,807	21,103
36	पश्चिमी बंगाल	15,026	26,481
.	**कुल योग**	**5,26,587**	**9,47,684**